न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 508–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–7–11 पारित द्वारा तहसीलदार, आष्टा जिला सीहोर प्रकरण कमांक 70/अ–12/2010–11.

शंकर चौहान पिता भेरू सिंह
निवासी ग्राम डाबरी
तहसील आष्टा जिला सीहोर .....आवेदक

विरूद्ध

केशर सिंह आ. आत्माराम
निवासी ग्राम डाबरी
तहसील आष्टा जिला सीहोर .....अनावेदक

श्री वीरेन्द्र तिवारी, अभिभाषक, आवेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/7/15 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश 12–7–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, आष्टा जिला सीहोर के समक्ष ग्राम डाबरी तहसील आष्टा स्थित भूमि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे

क्रमांक 127/2 रकबा 0.222 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/अ–12/2010–11 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर दिनांक 10–7–2011 को तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–7–11 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, सीहोर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–12–12 को आदेश पारित कर संहिता में दिनांक 30–12–11 को हुए संशोधन के अनसुार संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी के सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाकर मूल निगरानी याचिका मेमों आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने के निर्देश दिये गये । फलस्वरूप तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 12–7–11 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सूचना नहीं दी गई । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पड़ौसी कृषकों को सूचना दी जाना आवश्यक है, परन्तु पड़ौसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपीक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना दी गई और सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित रहा है, परन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । उपरोक्त स्थिति सीमांकन पंचनामा से स्पष्ट होती है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः वैधानिक एवं उचित होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि

तहसील न्यायालय द्वारा पड़ौसी कृषकों को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है क्योंकि सीमांकन के समय पड़ौसी कृषक उपस्थित रहे हैं और उनके हस्ताक्षर भी हैं । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश 12–7–11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर